




कार्यालय आदेश सं०:- 658 / 2020

गरेप्र (कार्मिक)/पू.गरेल/सोनपुर के पत्र सं० - KA/283/Elect.(TRO)/IR-ID/MT/Sr.ALP ALP/SEE/20 दिनांक-07.09.2020 एवं गरेप्र (कार्मिक)/उत्तर रेलवे/नई दिल्ली मंडल के पत्र सं० 941/E/483/Part-III/IRMT/2020/P-7 दिनांक:-07.09.2020 द्वारा श्री देशराज मीणा, सलोपा (वि)/वरौनी सोनपुर मंडल के साथ श्री रविरंजन कुमार सिंह, प्रसलोपा/उत्तर रेलवे/नई दिल्ली मंडल को निम्नतम वरीयता पर सलोपा लेवल-02 में अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण स्वीकृत है। श्री रविरंजन कुमार सिंह, सलोपा/नई दिल्ली मंडल से गरेप्र (का०)/उत्तर रेलवे/नई दिल्ली के पत्र सं० 941/E/483/Part-III/IRMT/2020/P-7 दिनांक:-02.11.2020 द्वारा विरमित होकर इस मंडल में दिनांक 04.11.2020 को पदस्थापना हेतु रिपोर्ट किये हे. को निम्नतम वरीयता पर सलोपा लेवल-02 में गु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/वरौनी के अधीन पदस्थापित किया जाता है। इन्हें स्थानांतरण पर मिलने वाली कोई सुविधा देय नहीं है। पारस्परिक स्थानांतरण पर नियमानुसार वरीयता का लाभ देय होगा।

श्री रविरंजन कुमार सिंह, पुत्र श्री विष्णू देव सिंह, सलोपा का अन्य सेवा विवरण हेतु गरेप्र (कार्मिक)/उत्तर रेलवे/नई दिल्ली मंडल का विरगन पत्र दिनांक 02.11.2020 की छाया प्रति सलग्न है। गे दिनांक:-04.11.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक कार्यालय में आदेश हेतु प्रतिक्षारत रहे हैं। श्री रविरंजन कुमार सिंह का फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बायें हाथ का अंगूठा का निशान सत्यापित निम्न प्रकार है।

फोटो	हस्ताक्षर का नमूना	बायें हाथ का अंगूठा निशान
		
सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	
नई दिल्ली रेल, सलोपा	नई दिल्ली रेल, सोनपुर	

उपरोक्त पदस्थापना पर वमविड़/टीआरओ का आदेश प्राप्त है।


( विजय इजीनियर )  
सकाधि- III  
कृते गरेप्र(का०)/सोनपुर

दिनांक.-04.12.2020

सं०- KA/283/Elect.(TRO)/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20/Pl.-III

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. गरेप्र (का०)/उत्तर रेलवे/नई दिल्ली - श्री रविरंजन कुमार सिंह का विधिकृत सेवा अगिलेख भेजने की व्यवस्था करे।
02. वमविप्र/सोनपुर। 03. वमविड़ (टीआरओ)/सोनपुर।
04. गु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/वरौनी- श्री देशराज मीणा, सलोपा/संयुक्त लॉबी/वरौनी की सत्यापित पहचान, सेवा विवरण एवं कोई रेल की बकाया हो तो उसका उल्लेख करते हुए, इस कार्यालय के लिए विरमित करें, जिससे इन्हें नई दिल्ली मंडल विरमित किया जाय।
05. मुकार्याधी (विल)/सोनपुर/वरौनी। 06. संबंधित कर्मचारी।
07. अगिलेख प्रति। 08. कार्यालय आदेश प्रति।
09. मंडल मंत्री ई०सी०आर०के०यू०, ओवीसी/अजा-अजजा, एशो०/सोनपुर मंडल।

  
कृते गरेप्र(का०)/सोनपुर